न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक
(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 272/2011
प्रविष्टि दिनांक 02.11.2011

ओमप्रकाश पुत्र गोरधनलाल जाति ब्रहामण निवासी संथली तह0 देवली जिला–टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक
2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री पंवन कुमार जैन,अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित
(2) श्री रामधन सेनी, श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 20–10–2021

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम संथली तहसील देवली की भूमि ख0नं0 1605 में 0.6000 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गै0 मु0 आबादी का निर्धारण किया गया है। जबकि प्रार्थी की भूमि एन0एच–12 पर स्थित भूमि में पक्का बरामदा, चार कमरे गैलेरी, एक हॉल, रसोईघर, टीनशेड, पक्का चबूतरा लेटरिंग,बाथरूम, पक्का पानी का टेंक आदि बने होने से मुआवजा वर्ममान डीएलसी दर से कम दिया गया है। प्रार्थी का सम्पत्ति का मौके पर मौजूद निर्माण/संरचना उसकी वास्तविक उपयोगिता एंव वर्तमान बाजार कीमत के अनुसार राशि का निर्धारण करवाया जाकर 12 लाख रूपये का मुआवजा दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली दिनांक 25–6–2010 तलब की गई। अभिभाषक प्रार्थी अनुपस्थित।

अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1605 में 0.6[illegible]मीटर ग्राम सन्थली मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम [illegible] के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थी को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 15:50:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थी द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नही की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया था,परन्तु प्रार्थी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म गैर मुमकिप आबादी राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या– 2 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अवार्ड संख्या 1960,1953,1964,1965,1968,1963,1970/2009 दिनांक 25–6–2010 से प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1605 अवाप्त रकबा 6000 वर्गमीटर किस्म गैर मुमकिन आबादी का डी.एल.सी. दर से ग्राम संथली का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया है। प्रार्थी द्वारा निर्माण संरचनाओं से अधिक का मुआवजा चाहता है। जबकि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जरिए सर्वे नं0 183 हितबद्व व्यक्ति प्रार्थीगण की निर्मित संरचना मकान की कुल मुआवजा राशि 408120/रूपये निर्धारित की गई है। अवार्ड की राशि का भुगतान सक्षम प्राधिकारी को जमा करा दिया गया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 20–10–2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक

आर्बिट्रेटर N.H.-12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:50:24 IST
Reason: SelfAttested